न्यायालय अंचल अधिकारी, सतगावां

विविध वाद सं0–06/2018

प्रसंग–श्री विनोद कुमार बनाम बौनी महतो

	आदेश
27/11/18	अभिलेख का अवलोकन किया।अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष के विनोद प्रसाद यादव के प्राप्त आवेदन में कथनानुसार मौजा–अम्बाबाद, थाना–सतगावाँ, जिला–कोडरमा अन्तर्गत खाता संख्या–35, प्लॉट संख्या–1086, रकवा–83 डी0 मधे 64 डी0, दुखन महतो, पिता–शुकर महतो के नाम से लगान रसीद निर्गत है। उक्त भूमि पर श्री बौनी महतो, पिता–विशु महतो अपना बताते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा दोनों पक्षों से उक्त भूमि से संबंधित कागजातों की माँग कर मामला को निपटाने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितिय पक्ष के बौनी महतो के प्राप्त आवेदन में कथनानुसार मौजा–अम्बाबाद, थाना–सतगावाँ, जिला–कोडरमा अन्तर्गत खाता संख्या–35, प्लॉट संख्या–1075, 1086, 1095, 1099, 1101, 1106, 1112, 1120, 1124, 1571, 1582, 1598, 948, 955, 962, 1021, 1022, 1033, 1034, 1041, 1057 एवं 1062 जिसका रकवा क्रमशः– 0.81 डी0, 0.83 डी0, 0.21 डी0, 0.26 डी0, 0.24 डी0, 0.9 डी0, 0.12 डी0, 0.11 डी0, 0.8 डी0, 0.71 डी0, 1.34 डी0, 0.46 डी0, 0.15 डी0, 0.4 डी0, 0.27 डी0, 0.9 डी0, 0.6 डी0, 0.11 डी0, 0.10 डी0, 0.11 डी0, 0.56 डी0 एवं 0.56 डी0 भूमि पर बौनी महतो के पिता–स्व0 विशु महतो को हुकुमनामा के माध्यम से उक्त भूमि प्राप्त है। हुकुमनामा के आधार पर उक्त भूमि का दो अलग–अलग रसीद विशु महतो के नाम से निर्गत है, जो एक लगान रसीद से 05.21 डी0 एवं दुसरा लगान रसीद से 02.10 डी0 दोनों मिलाकर कुल रकवा–07.31 डी0 भूमि का अंचल कार्यालय सतगावाँ द्वारा लगान रसीद निर्गत है।

बौनी महतो के पिता–विशु महतो भाई में मात्र एक हैं। बौनी महतो भी पुत्र में अकेला हैं और बौनी महतो का चार पुत्र हैं। रामचन्द्र प्रसाद यादव, द्वारिका प्रसाद, मधुसुदन प्रसाद यादव एवं तिलकदेव प्रसाद पेसरान बौनी महतो। द्वितिय पक्ष के बौनी महतो का आगे यह भी कथन है की उक्त सभी वर्णित भूमि पर हमारे चारों पुत्रों का कई वर्ष पूर्व से मकान बना हुआ है और उस मकान में परिवार समेत दखलकार होकर निवास करते चले आ रहें हैं। उक्त भूमि परती नहीं है अर्थात मकान निर्मित है। प्रथम पक्ष बिना कोई वैद्य कागजात का उक्त भूमि हासिल करने के नियत से वास्तविक तथ्य को छुपाकर मामला को लाया गया है। प्रथम पक्ष का आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

राजस्व उप निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–अम्बाबाद, थाना–सतगावाँ, जिला–कोडरमा अन्तर्गत खाता संख्या–35, प्लॉट संख्या–1086, रकवा–64 डी0 भूमि दुखन महतो पिता–शुकर महतो के नाम से खतियानी दर्ज है और पंजी II के पेज नं0 47/1 में दुखन महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है। यह भूमि रैयती खाते की है जो बकास्त है, जिसे द्वितिय पक्ष के बौनी महतो अपना भूमि बताते हैं।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के सर्मथन में खाता सख्या–35 का लगान रसीद 0.64 डी0 की छायाप्रति संलग्न किया है, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा खतियान, केवाला/हुकुमनामा दाखिल नहीं किया गया है, जो उक्त कागजात में से कोई एक कागजात प्रस्तुत करना अनिवार्य है। द्वितिय पक्ष की ओर से उक्त खाते की भूमि से

संबंधित अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा एवं दो लगान रसीद एक लगान रसीद से 05.21 डी0 एवं दुसरा लगान रसीद से 02.10 डी0 दोनों मिलाकर कुल रकवा–07. 31 डी0 भूमि का कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया है। द्वितिय पक्ष के कथनानुसार उक्त वर्णित भूमि पर मकान निर्मित है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद में मामला को स्थाई निपटारा संभव नहीं है। मकान से बेदखल करनें हेतु सक्षम न्यायालय का आदेश अनिवार्य है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में वाद की कार्रवाई समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/11/18
अंचल अधिकारी,
सतगावां।

23/11/18
अंचल अधिकारी,
सतगावां।